निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या **355/2020** (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि॰ शाखा कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट तिलक नगर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. सुरेश कुमार मौर्य पुत्र श्री कालूराम मौर्य
   निवासी प्लाट नम्बर 131, एवं 175 युवराज विहार, रोड नम्बर 17, वी के आई. ए. एरिया, जयपुर ।
2. मुकेश पुत्र श्री कालूराम
   निवासी बी–129, युवराज विहार, रोड नम्बर 17, वी के आई, ए एरिया, जयपुर।
3. रमेश कुमार पुत्र श्री गोपाल लाल
   निवासी प्लाट नम्बर 8 नीयर ज्वाला माता मन्दिर, बेनाड रोड, दाडी का फाटक जयपुर एवं
   53 पवनपुरी, चरण नदी, वार्ड नम्बर 1, जयपुर
4. श्रीमती ललिता कुमावत पत्नी श्रीजेल सिंह कुमावत
   निवासी डी–465, वार्ड नम्बर 69 विद्यार नगर जयपुर
   व 96 युवराज विहार , कालोनी, आकेडा डूंगर अखेपुरा जयपुर।

अप्रार्थी

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–

1. श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।
2. श्री एस जे गिरी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 09.12.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को 31.12.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार मौर्य के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति प्लाट नम्बर 175 युवराज विहार, रोड नम्बर 17, वी के आई एरिया, जयपुर क्षेत्रफल 201 वर्गगज को बन्धक रख कर 14,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.03.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

ला मजिस्ट्रेट
क्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जा कर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थी ऋणी की ओर से अधिवक्ता श्री एस. जे. गिरी ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया।
3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था जम्बो फिनवेस्ट द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र संख्या 116/2019 पूर्व में प्रस्तुत करने पर दिनांक 18.07.2019 को आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्व अप्रार्थी द्वारा माननीय डी आर टी में अपील प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 13.03.2020 से पूर्व में पारित आदेश दिनांक 18.07.2019 को अपास्त कर दिया है। इसके बावजूद प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा पुनः धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
5. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 24 अक्टूबर 2018 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
6. माननीय ऋण वसूली अधिकरण द्वारा दिनांक 22.11.2019 को अप्रार्थी को ऋण राशि जमा कराने पर अप्रार्थी को कब्जा दे दिये जाने के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं कराने पर माननीय ऋण वसूली अधिकरण द्वारा दिनांक 13.03.2020 को प्रार्थी वित्तीय संस्था को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा माननीय ऋण वसूली अधिकारण के समक्ष बंन्धक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने पर माननीय ऋण वसूली अधिकरण ने आदेश दिनांक 20.10.2020 से सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश के साथ प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया गया है। तत्पश्चात प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा न्यायालय में सरफेसी अधिनिमय के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रकरण में न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 116/2019 ब–उनवानी जम्बो फिनवेस्ट बनाम सुरेश कुमार मौर्य दिनांक 18.07.2019 द्वारा बन्धक सम्पति के कब्जे हेतु पूर्व में आदेश पारित किये जा चुके है, जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है।
7. प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा बंन्धक सम्पति का कब्जा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने हेतु पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 सरफेसी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। अतः पुर्व में पारित आदेश दिनांक 18.07.2019 की निरन्तरता में The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार मौर्य के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति प्लाट नम्बर 175, युवराज विहार, रोड नम्बर 17, वी के आई एरिया, जयपुर क्षेत्रफल 201 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
8. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
9. आदेश आज दिनांक 09.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

9/12/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर